



Neutral Citation No. - 2026:AHC:6233

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 27955 वर्ष 2025

हारुन

...आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

...प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता: सुनील कुमार तिवारी

प्रतिवादी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 67

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

1. आवेदक की ओर से आज दाखिल किया गया पूरक हलफनामा रिकॉर्ड पर ले लिया गया है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री सुनील कुमार तिवारी और राज्य-प्रतिवादी के विद्वान एजीए श्री राजीव धर द्विवेदी की दलीलें सुनी गईं।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. यह आवेदन अवर न्यायालय में मुकदमे की सुनवाई के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा करने की मांग करते हुए दायर किया गया है। यह आवेदन मुकदमा अपराध संख्या 376/2024, धारा 103(1), 352 बीएनएस, पुलिस स्टेशन कैराना, जिला शामली के अंतर्गत है।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि यह आवेदक की ओर से दायर की गई दूसरी जमानत याचिका है। आवेदक की पहली जमानत याचिका दिनांक 14.2.2025 के आदेश द्वारा खारिज कर दी गई थी, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि आरोप के अनुसार, आवेदक ने मृतक को पकड़ा था और उसके बाद सह-आरोपी इमरान ने उसे कैंची से घायल कर दिया था। लेकिन वह इस दूसरी जमानत याचिका पर इस आधार पर जोर दे रहा है कि आवेदक को केवल पकड़ने का आरोप लगाया गया है। आवेदक पिछले लगभग डेढ़ साल से जेल में है और आज तक मुकदमा पूरा नहीं हो सका है।

5. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि वर्तमान मामले के अलावा आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

6. इसके विपरीत, विद्वान एजीए ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि यह आवेदक की ओर से दायर की गई दूसरी जमानत याचिका है और उनकी पहली जमानत याचिका इस तथ्य पर विचार करने के बाद खारिज कर दी गई थी कि आरोप के अनुसार जब आवेदक ने मृतक को पकड़ा तो उसके बाद सह-आरोपी इमरान ने उसे कैंची से घायल कर दिया, लेकिन वे इस तथ्य से इनकार नहीं कर सके कि वर्तमान मामले में आवेदक पिछले लगभग डेढ़ साल से जेल में है और आवेदक का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है।

7. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना और मामले के रिकॉर्ड का अवलोकन किया।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



8. यह आवेदक की ओर से दायर की गई दूसरी जमानत याचिका है और उसकी पहली जमानत याचिका इस तथ्य पर विचार करते हुए खारिज कर दी गई थी कि आरोप के अनुसार जब आवेदक ने मृतक को पकड़ा तो उसके बाद सह-आरोपी इमरान ने उसे कैंची से घायल कर दिया, लेकिन वर्तमान मामले में यह बात सामने आई है कि आवेदक पिछले लगभग डेढ़ साल से जेल में है।

9. इसके अलावा, संबंधित न्यायालय की रिपोर्ट से पता चलता है कि 26.9.2025 की रिपोर्ट तक केवल एक अभियोजन गवाह की जांच की जा सकी और बार-बार समन भेजे जाने के बावजूद गवाह(पीडब्ल्यू) संख्या 2 अवर न्यायालय के समक्ष पेश नहीं हो रहा है और उसके खिलाफ गैर-कानूनी बयान जारी किया गया है, इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक द्वारा की गई किसी भी देरी के बिना, मुकदमे की सुनवाई केवल अभियोजन गवाहों की अनिच्छा के कारण विलंबित हो रही है।

10. इसके अलावा, यह स्वीकार किया जाता है कि आवेदक ने मृतक को कोई चोट नहीं पहुंचाई और वर्तमान मामले के अलावा, उसका कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है।

11. अतः, ऊपर बताए गए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मेरी राय में, आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

12. तदनुसार, मामले की खूबियों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, यह जमानत याचिका **स्वीकार** की जाती है।

13. आवेदक **हारून** को उपरोक्त मामले में जमानत पर रिहा किया जाए, ब्याज राशि के दो जमानती पेश करने पर, जो संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप हों, निम्नलिखित शर्तों के साथ:-

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(i) आवेदक निर्धारित तिथियों पर अवर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी जाए।

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

(iii) आवेदक किसी भी आपराधिक और असामाजिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा।

14. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अभियोजन पक्ष को आवेदक की जमानत रद्द करने के लिए इस न्यायालय के समक्ष आवेदन करने की स्वतंत्रता होगी।

15. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां जमानत आवेदन के निस्तारण से संबंधित पक्षों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक ही सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का मुकदमे की सुनवाई के दौरान मामले की खूबियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

09 जनवरी 2026

अंकिता

(न्यायमूर्ति समीर जैन)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।